

अध्याय 12

सबि सडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध

[धारा 4 (1) (बी) (xii)]

1. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों/कार्यक्रमों/योजनाओं का वर्णन करें जिनके लिए सबि सडी प्रदान की जाती हैं।

- (1) सहायता अनुदान
- (2) शाला आकस्मिक निधि
- (3) शाला मरम्मत निधि
- (4) समावेशित शिक्षा

2. विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत सबि सडी देने के लिए सबि सडी की प्रकृति, सबि सडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और अधिकारी सक्षम के पदनाम की जानकारी प्रदान करें।

| कार्यक्रम/गतिविधि का नाम | प्रकृति/सबि सडी का पैमाना | सबि सडी देने के लिए पात्रता मानदंड | अनुदान देने वाले अधिकारी का पदनाम |
|--|--|--|-----------------------------------|
| (1) सहायता अनुदान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत (अ) गणवेश | वर्ष में एक बार 2 जोड़ी के लिए 400/- रु. | शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के समस्त बालक-बालिकाएं | संचालन, राज य शिक्षा केन्द्र |
| (ब) पाठ्यपुस्तक | प्रतिवर्ष राज य शिक्षा केन्द्र | शासकीय प्राथमिक एवं | संचालक, राज य शिक्षा केन्द्र |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | पाठ्यपुस्तक तक निगम द्वारा मुद्रित कराकर जिला शिक्षा केन्द्रों के नियंत्रण में वितरित की जाती हैं। | माध्यमिक स्तर बालक-बालिकाएं | |
| (2) शाला आकस्मिक निधि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वारा | 5000/- रुपये | शासकीय प्राथमिक शालाओं | संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र |
| | 7000/- रुपये बजट आवंटन राज्य शिक्षा केन्द्र से सीधे शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसका व्यय शाला प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। | शासकीय माध्यमिक शालाओं | |
| (3) शाला मरम्मत निधि आकस्मिक व्यय | तीन कक्ष वाली शालाओं को प्रति शाला राशि रुपये 5000/- तीन कक्ष से अधिक वाली शालाओं को प्रतिशाला राशि रुपये 10000/- शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसका व्यय शाला प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित | शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला | संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| | प्रक्रिया के तहत किया जाता है। | | |
| (4) समावेशित शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत आई ई डी समिति | 50 सीट्र एक CWSN छात्रावास 50 सीट्र एक CWSN बालिका छात्रावास 12 लाख रूपये 50 बच्चों पर जिले द्वारा संचालन करने के लिए प्रदान की जाती हैं | जिले में एक CWSN छात्रावास संभागीय मुख्यालय पर एक CWSN बालिका छात्रावास | संचालक, राज य शिक्षा केन्द्र |

3. सबि सडी कार्यक्रम के निष् पादन के तरीके का वर्णन करें

| कार्यक्रम का नाम/गतिविधि | आवेदन प्रक्रिया | रू वीकृति प्रक्रिया | संवितरण प्रक्रिया |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| (1) सहायता अनुदान (1) गणवेश | - | - | शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला 2 जोड़ी गणवेश प्रति विद्यार्थी को निशुल्क दिए जाते हैं। |
| (ब) पाठ्यपुस्तक तक | - | - | शासकीय प्राथमिक शाला शासकीय माध्यमिक शाला शाला प्रबन्धन समिति द्वारा प्रत्येक शाला में निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराई जाती हैं। |
| (2) शाला आकस्मिक निधि | - | - | 5000/- रूपये प्राथमिक 7000/- रूपये माध्यमिक को आकस्मिक व्यय हेतु निधि राज य शिक्षा केन्द्र से शाला प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। |

| | | | |
|--|---|---|---|
| (3) <u>शाला मरम्मत निधि</u> | - | - | शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला 5000/- व 10000/- की राशि शाला प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में डालकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत व्यय किया जाता है। |
| (4) <u>समावेशित शिक्षा IED गतिविधि</u> | - | - | जिले रु तर 50 सीट CWSN सभागीय मुख्यालय 50 सीट CWSN निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वयं सेवी संस्था जिले में उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विभागीय रूप से उक्त छात्रावास संचालित किया जाता है। |